



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 28 राँची, बुधवार

6 अगस्त, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 563-569 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 जुलाई, 2025

संख्या-13/एल0-101/2025-2909--श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से०, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को तीर्थयात्रा पर चेन्नई, तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों में दर्शन हेतु दिनांक-18.08.2025 से 22.08.2025 तक आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक-23.08.2025 को अनुमति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि में निजी व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु विदेश (श्रीलंका) भ्रमण करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,

सरकार के अपर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2025

संख्या-13/पी₂-102/2021-2872--सी०, विभागीय अधिसूचना सं०-2038, दिनांक-26.05.2025 द्वारा निर्गत अधिसूचना को एदत् द्वारा संशोधित करते हुए श्री **आर० रामकुमार, भा०पु०से०(2015)**, संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को वर्ष 2015 बैच के झारखण्ड कैडर में उनका कनीयतम होने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान **-Level-12 of Pay Matrix** में, इनके ठीक वरीय श्री **एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से०** को विभागीय अधिसूचना सं०-02, दिनांक-01.01.2024 द्वारा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि-01.01.2024 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-III प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाय ।

उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री कुमार, भा०पु०से० का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,

सरकार के अपर सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT-----
NOTIFICATION21st july, 2025

Memo No.-10/C.B.I.-421/2025-4523--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand upon request made vide letter number 648/2025-R, dated 07.07.2025 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of a regular case against an employee of Postal Department for committing offence u/s 7 of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offences that may come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand,

Dayanand Kumar,

Under Secretary to Government.

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT-----
NOTIFICATION18th july, 2025

Memo No.-10/C.B.I.-420/2025-4472--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand upon request made vide letter number 181/X, dated 05.05.2025 of IG of Police (HQ) Jharkhand, Ranchi for investigation of Ramgarh P.S. case No.-250/2021 Dated 24.08.2021 u/s 420/460/409/467/468/471/120B of IPC and any other offences that may come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand,

Dayanand Kumar,

Under Secretary to Government.

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 मई, 2025

संख्या-08/विविध (01)-13/2023-2907--चूँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में लोक व्यवस्था के अनुरक्षण तथा विध्वंसात्मक कार्यों को निवारित व प्रतिबंधित करने हेतु अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं कि इस निमित्त विशेष पूर्वावधान बरती जाय,

इसलिए, अब बिहार (सहपठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1 1979) की धारा-3, उपधारा-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के द्वारा अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत बी०पी०सी०एल० एल०पी०जी० बोटलिंग प्लांट, बोकारो को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु चास अंचल, बोकारो अन्तर्गत गोड़वाली थाना संख्या-14/179 एवं माराफारी थाना संख्या-16/181, प्लॉट संख्या-I/O & III/O के निम्नलिखित कुल 20.00 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है:-

क्र सं	संरचना का नाम	मौजा /थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (क्षेत्रफल एकड़ में)	क्र सं	मौजा /थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (क्षेत्रफल एकड़ में)
1	बी०पी०सी०एल० एल०पी०जी० बोटलिंग प्लांट, बोकारो	माराफारी, थाना संख्या-16/181	25	3331 (P)	0.11	1	गोड़वाली थाना संख्या-14/179	57	3336 (P)	0.045
2				3330 (F)	1.14	2		102	3333 (F)	0.04
3			23	3466 (P)	0.49	3			3334 (P)	0.06
4				3465 (P)	0.24	4			3335 (P)	0.05
5				3361 (P)	0.54	5			3326 (P)	0.02
6				4785 (P)	0.76	6			3327 (P)	0.26
7				4768 (P)	0.18	7			3328 (P)	0.44

<u>Boundary</u>	
As Per Industrial Plot No.-	As Per Industrial Plot No.-
North-3361(P), 3326(P),3327(P),3328(P),3329(P) & 2441(P)	North Area Pond Area, 40' - 0" W/R & III/E - 2/7 (P)
South-4764(P), 4768(P), 4751(P) & 4785(P)	South- Vacant Land of BIADA
East-4785(P), 4751(P), 4752(P), 2424(P), 2432(PO) & 2441(P)	East- Existing Plots & Rehabilitation
West-3466(P), 4764(P), 3329(P), 3336(P) & 3361(P)	West- Village Boundary Line

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2025

सं0-14/ए०-06/2025-2878--श्री अमित कुमार सिंह, परिक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक, लोहरदगा के विरुद्ध परिवादी सुश्री सौम्या सुमन, जिला-राँची द्वारा ई-मेल के माध्यम से परिवाद पत्र समर्पित किया गया। परिवादी द्वारा श्री सिंह पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, होटलों में प्रवेश हेतु फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने संबंधी आरोप लगाया गया। आरोपों की जाँच अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशि० एवं आधु०), झारखण्ड, राँची के द्वारा की गयी ।

2. जाँच में आरोपों को सत्य पाया गया। साथ ही श्री सिंह द्वारा परिवादी पर आरोपों को वापस लेने तथा साक्ष्य मिटाने हेतु दबाव बनाने का तथ्य भी सामने आया। श्री सिंह का कृत्य अत्यन्त निंदनीय है। उन्होंने पद की गरिमा को भी धूमिल किया है ।

3. अतः इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 की कंडिका-9 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

4. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस उप-महानिरीक्षक, द०छो० प्रक्षेत्र, राँची का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में उन्हें मात्र अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार तिर्की,
सरकार के अपर सचिव ।
